

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैगल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

ई-मेल
दूरभाष सं०- 0612-2217956
फैक्स- 0612-2215611 / 2215978
ई-मेल- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : बी1-3-126 / 2019-6738
प्रेषक

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई०।

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा,
सिवान, भागलपुर एवं बांका।

विषय :- लोक सभा एवं बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019- Clarifications regarding enforcement of MCC during bye-election.

- प्रसंग:- (1) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2019 दिनांक 21.09.2019 जो इस कार्यालय के पत्रांक
(2) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 437/6/INST/2016-CCS दिनांक 29.06.2017
(3) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 437/6/MISC/ECI/LET/FUNCT/MCC/2017 दिनांक 18.01.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का (छायाप्रति संलग्न) कृपया संदर्भ किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 437/6/MISC/ECI/LET/FUNCT/MCC/2017 दिनांक 18.01.2019 द्वारा उप चुनाव के अवसर पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :-

“Now, the Commission had decided that above direction shall be applied in all future bye-elections in the Country involving state Capital/Metropolitan Cities/Municipal Corporation. According, any district in which Corporation/Metro/Municipal Corporation is located, MCC would be enforced in the particular Assembly Constituency Segment only and not in the whole of the district.”

विदित है कि वर्तमान में दरभंगा जिला और भागलपुर जिला में नगर निगम (Municipal Corporation) होने के कारण भागलपुर जिला के केवल 158-नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा जिला के केवल 78-कुशेश्वरस्थान एवं 84-हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होंगे। किशनगंज, सिवान, बांका एवं सहरसा जिला में नगर निगम (Municipal Corporation) नहीं होने के कारण आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण जिला में लागू हैं।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 6732 दिनांक 21.09.2019, 6733 दिनांक 21.09.2019 एवं 6734 दिनांक 21.09.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

अनु०-यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

21/9-2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई०।

ज्ञापांक - बी1-3-126 / 2019-6738

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9-2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

“कोई मतदता न झूटे”

ज्ञापांक - बी1-3-126/2019-6738

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर,/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

alig 21-9-2019
(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई०।

ज्ञापांक - बी1-3-126/2019-6738

प्रतिलिपि :- सभी आयुक्त (आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर,/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को छोड़कर) सूचनार्थ प्रेषित।

alig 21-9-2019
(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई०।

ज्ञापांक - बी1-3-126/2019-6738

प्रतिलिपि :- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य (समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका को छोड़कर) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

alig 21-9-2019
(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई०।

ज्ञापांक - बी1-3-126/2019-6738

प्रतिलिपि :- उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

alig 21-9-2019
(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।